



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 1980 (आषाढ़ 14, 1902)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 1980 (ASADHA 14, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	429
भाग 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	863
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	739
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रश्न समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1433
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	27
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	235
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तब संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1561
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	361
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2093
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	107

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PAGE	(other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	PAGE
	429	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1433
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	863	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	2327
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service, Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	235
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	739	PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	7561
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	361
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2093
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India		PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	107

Division. IOD	
Acc. No.	18 OCT 1980
Date of	
Coll No.	
Processed	Checked
() Transfer	

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई
विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by
the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून, 1980

सं० 40-ब्रेज/80—राष्ट्रपति “सर्वोत्तम युद्ध सेवा मंडल”, “उत्तम युद्ध सेवा मंडल”, “युद्ध सेवा मंडल” नामक तीन विशिष्ट सेवा मंडल सहर्ष समारम्भ करते हैं और निम्नलिखित अध्यादेश निमित्त तथा व्यवस्थापित एवं स्थापित करते हैं जो छब्बीस जनवरी, 1980 से लागू माना जाएगा।

सर्वोत्तम युद्ध सेवा मंडल

प्रथम :—यह मंडल “सर्वोत्तम युद्ध सेवा मंडल” “SARVOTTAM YUDDH SEVA MEDAL” कहलाएगा (इसके पश्चात इसे “मंडल” कहा जायेगा)।

द्वितीय :—मंडल गोल आकृति में 35 मिलीमीटर व्यास का होगा और सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली एक समतल पट्टी के साथ जुड़ा होगा वह मंडल गिल्ट का बना होगा जिस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा होगा। इसके अग्रभाग में राष्ट्र-चिह्न और रिम के उपरी भाग में “सर्वोत्तम युद्ध सेवा मंडल” “SARVOTTAM YUDDH SEVA MEDAL” समुद्भूत होगा तथा पृष्ठ भाग में पंचकोणीय मितारा होगा। मंडल का एक मुद्रांकित प्रतिरूप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के मंडल अनुभाग द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

तृतीय :—मंडल 32 मिलीमीटर चौड़े रिबन की सहायता से वक्ष-स्थल पर बायीं ओर लटकाया जाएगा। यह रिबन सुनहरी रंग का होगा जिसके बीचों-बीच, इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती हुई लाल रंग की एक खड़ी धारी होगी।

चतुर्थ :—मंडल युद्ध/संघर्ष/शत्रुतापूर्ण कार्रवाई में अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाएगा।

पंचम :—मंडल मरणोपरान्त भी प्रदान किया जा सकता है।

षष्ठ :—मंडल पाने वाले व्यक्तियों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और इसके लिए राष्ट्रपति के निदेशानुसार एक रजिस्टर रखा जाएगा।

सप्तम :—मंडल प्राप्त करने के अधिकारी निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) सेना, नौसेना व वायुसेना के सभी कामिक तथा इन सेनाओं के अधीन कार्यरत रिजर्व, सहायक एवं प्रादेशिक सेना की यूनिटों के तथा विधि अनुसार गठित अन्य सशस्त्र सेनाओं के सभी कामिक।

(ख) सशस्त्र सेना परिचर्या सेवा के नर्सिंग अफसर और उनके अन्य सदस्य।

अष्टम :—यदि मंडल प्राप्तकर्ता को वही मंडल पुनः प्रदान किया जाता है तो इस प्रकार दिये जाने वाले प्रत्येक मंडल के लिए उसे उस मंडल का “बार” दिया जाएगा जो उस रिबन में लगेगा जिसके साथ मंडल लटकाया जाता है। जब केवल रिबन ही पहना जाये तो ऐसे प्रत्येक “बार” के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत मंडल का लघुरूप ही रिबन के साथ लगाया जाएगा।

नवम :—मंडल प्राप्तकर्ता द्वारा विशेष अवसरों पर धारण किये जाने वाले मंडल का लघुरूप, मंडल का आधा होगा और उस लघुरूप का एक मुद्रांकित प्रतिरूप सुरक्षित रखा जाएगा।

दशम :—राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दिए गए मंडल को रद्द और समाप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मंडल प्राप्तकर्ता का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उसे मंडल वापिस करना होगा। लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह बाद में मंडल को रद्द व समाप्त करने के अपने आदेश को वापस लेकर मंडल पुनः प्रदान कर दे।

अन्तिम :—मंडल रद्द करने अथवा पुनः प्रदान करने के प्रत्येक मामले की सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

उत्तम युद्ध सेवा मंडल

प्रथम :—यह मंडल “उत्तम युद्ध सेवा मंडल” “UTTAM YUDDH SEVA MEDAL” कहलाएगा (इसके पश्चात इसे “मंडल” कहा जायेगा)।

द्वितीय :—मंडल गोल आकृति में 35 मिलीमीटर व्यास का होगा और सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली एक समतल पट्टी के साथ जुड़ा होगा। यह मंडल गिल्ट का बना होगा जिस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा होगा। इसके अग्रभाग में राष्ट्र-चिह्न और रिम के उपरी भाग में “उत्तम युद्ध सेवा मंडल” “UTTAM YUDDH SEVA MEDAL” तथा पृष्ठ भाग में पंचकोणीय मितारा होगा। मंडल का एक मुद्रांकित प्रतिरूप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के मंडल अनुभाग द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

तृतीय :—मंडल 32 मिलीमीटर चौड़े रिबन की सहायता से वक्षस्थल पर बायीं ओर लटकाया जाएगा। यह रिबन सुनहरी रंग का होगा जिसके बीचों-बीच, इसे दो खड़ी धारियां होंगी जो निम्न दो बराबर भागों में विभाजित करेंगी।

चतुर्थ :—मंडल युद्ध/संघर्ष/शत्रुतापूर्ण कार्रवाई में असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।

पंचम :—मंडल मरणोपरान्त भी प्रदान किया जा सकता है।

षष्ठ :—मंडल पाने वाले व्यक्तियों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और इसके लिए राष्ट्रपति के निदेशानुसार एक रजिस्टर रखा जाएगा।

सप्तम :—मंडल प्राप्त करने के अधिकारी निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) सेना, नौसेना व वायुसेना के सभी कामिक तथा इन सेनाओं के अधीन कार्यरत रिजर्व, सहायक एवं प्रादेशिक सेना की यूनिटों के तथा विधि अनुसार गठित अन्य सशस्त्र सेनाओं के सभी कामिक।

(ख) सशस्त्र सेना परिचर्या सेवा के नर्सिंग अफसर और उनके अन्य सदस्य।

अष्टम :—यदि मंडल प्राप्तकर्ता को वही मंडल पुनः प्रदान किया जाता है तो इस प्रकार दिए जाने वाले प्रत्येक मंडल के लिए उसे उस मंडल का "बार" दिया जाएगा जो उस रिबन में लगेगा जिसके साथ मंडल लटकाया जाता है। जब केवल रिबन ही पहना जाएगा तो ऐसे प्रत्येक "बार" के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत मंडल का लघुरूप ही रिबन के साथ लगाया जाएगा।

नवम् :—मंडल प्राप्तकर्ता द्वारा विशेष अवसरों पर धारण किए जाने वाले मंडल का लघुरूप, मंडल का आधार होगा और उस लघुरूप का एक मुद्रांकित प्रतिरूप सुरक्षित रखा जाएगा।

दशम् :—राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दिए गए मंडल को रद्द और समाप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मंडल प्राप्तकर्ता का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उसे मंडल वापिस करना होगा। लेकिन राष्ट्रपति को, यह अधिकार होगा कि वह बाद में मंडल को रद्द व समाप्त करने के अपने आदेश को वापिस लेकर मंडल पुनः प्रदान कर दे।

अन्तिम :—मंडल रद्द करने अथवा पुनः प्रदान करने के प्रत्येक मामले की सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

युद्ध सेवा मंडल

प्रथम :—यह मंडल "युद्ध सेवा मंडल" "YUDDH SEVA MEDAL" कहलाएगा (इसके पश्चात "मंडल" कहा जायेगा)।

द्वितीय :—मंडल गोल आकृति में 35 मिलीमीटर व्यास का होगा और सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली एक सादी समतल पट्टी के साथ जुड़ा होगा। यह मंडल गिल्ट का बना होगा जिस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा होगा। इसके अग्रभाग में राष्ट्र-चिह्न और रिम के उपरी भाग में "युद्ध सेवा मंडल" "YUDDH SEVA MEDAL" तथा पृष्ठभाग में पञ्चकोणीय सितारा होगा। मंडल का एक मुद्रांकित प्रतिरूप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के मंडल अनुभाग द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

तृतीय :—मंडल 32 मिलीमीटर चौड़े रिबन की सहायता से वक्ष-स्थल पर बायीं ओर लटकाया जाएगा। यह रिबन सुनहरी रंग का होगा जिसके बीचों-बीच लाल रंग की तीन खड़ी धारियाँ होंगी, जो कि इसे चार बराबर भागों में विभाजित करेंगी।

चतुर्थ :—मंडल युद्ध/संवर्ष/शत्रुतापूर्ण कार्रवाई में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।

पञ्चम :—मंडल मरणोपरान्त भी प्रदान किया जा सकता है।

षष्ठ :—मंडल पाने वाले व्यक्तियों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और इसके लिए राष्ट्रपति के निर्देशानुसार रजिस्टर रखा जाएगा।

सप्तम :—मंडल प्राप्त करने के अधिकारी निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) सेना, नौसेना व वायुसेना के सभी कामिक तथा इन सेनाओं के अधीन कार्यरत रिजर्व, सहायक एवं प्रोविशियल सेना की युनिटों के तथा विधि अनुसार गठित अन्य सशस्त्र सेनाओं के सभी कामिक।

(ख) गगनसेना परिचर्या सेवा के नर्सिंग ऑफिसर और उसके अन्य सदस्य।

अष्टम :—यदि मंडल प्राप्तकर्ता को वही मंडल पुनः प्रदान किया जाता है तो इस प्रकार दिए जाने वाले प्रत्येक मंडल के लिए उसे उस मंडल का "बार" दिया जाएगा जो उस रिबन में लगेगा जिसके साथ मंडल लटकाया जाता है। जब केवल रिबन ही पहना जाएगा, तो ऐसी प्रत्येक "बार" के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत मंडल का लघुरूप ही रिबन के साथ लगाया जाएगा।

नवम् :—मंडल प्राप्तकर्ता द्वारा विशेष अवसरों पर धारण किये जाने वाले मंडल का लघुरूप, मंडल का आधार होगा और उस लघुरूप का एक मुद्रांकित प्रतिरूप सुरक्षित रखा जाएगा।

दशम् :—राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दिए गए मंडल को रद्द और समाप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मंडल प्राप्तकर्ता का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उसे मंडल वापिस करना होगा। लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह बाद में मंडल को रद्द व समाप्त करने के अपने आदेश को वापिस लेकर मंडल पुनः प्रदान कर दे।

अन्तिम :—मंडल रद्द करने अथवा पुनः प्रदान करने प्रत्येक मामले की सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति के उप सचिव

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 1 मई 1980

सं० 7-1(1)/80-डी०-1(एल)—भाषा विज्ञान उच्च अध्ययन केन्द्र, दक्कन कालेज, पूना, के निदेशक डा० अशोक केलकर को डा० बी० जी० मिश्र के स्थान पर, जिन्हें केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 7-4/77-डी-1(भा० दिनांक 22 मार्च, 1978 द्वारा पिछली बार पुनर्गठित हिन्दी शिक्षा समिति के एक भाषा विज्ञान विशेषज्ञ के रूप में नामजद किया जाता है।

डा० केलकर को पुनर्गठित समिति के शेष कार्य काल के लिये अर्थात् 31 दिसम्बर, 1980 तक नामजद किया जाता है।

के० के० खुल्लर उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 1980

संकल्प

विषय : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद III की

स्थापना

मन्दर्भ :—संकल्प संख्या एफ० 16/10/44-स्थापना-III,

दिनांक 30 नवम्बर, 1945

सं० एफ० 1-10/79-टी०-5—उपरोक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा :—

संकल्प के पैरा 3(1) के उप-पैरा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जायेगा :—

"(घ) भारतीय परमसी परिषद का एक प्रतिनिधि।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संशोधन की एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संशोधन भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाए।

सी० एस० झा

शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 मई 1980

सं० 5-5/78-एल० आई०—राष्ट्रपति ने यह सहर्ष निर्णय लिया है कि डाकघर बीमा निधि नियमावली के नियमों में निम्न लिखित संशोधन और किए जायेंगे।

(1) डाक डजीवन बीमा और वदोघस्ती बीमा नियमावली के परिशिष्ट में नियम 12 के अन्तर्गत टिप्पणी 2 के नीचे मौजूदा प्रपत्र के स्थान पर निम्न प्रति स्थापित किया जाए।

प्रपत्र सं०-I

(कुल 10,000 या इससे अधिक के प्रस्तावों के लिए)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि जीवन बीमा के प्रस्ताव के लिये हुई चिकित्सकीय जांच के उपरान्त मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है तथा जहाँ तक मुझे जानकारी है मेरे परिवार में कोई मृत्यु अथवा गंभीर बीमारी नहीं हुई है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आज स्वस्थ।

नाम..... प्रस्तावक का नाम.....
 पद नाम..... ता०.....
 कार्यालय के अध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर..... स्थान.....
 (यदि प्रस्तावक छुट्टी पर हो तो किसी राजपत्रित या किसी कमिशन प्राप्त अधिकारी)
 ता०.....
 स्थान.....

(ख) कठिनाई के मामलों में जैसे कि अगर वरिष्ठ अधिकारी का मुख्यालय प्रस्तावक के स्थान से भिन्न हो, तो उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो प्रस्तावक के छुट्टी पर होने के मामले में अपनाई जाती।

2 प ने सहर्ष यह निर्णय भी किया है कि डाकघर बीमा निधि नियमावली के परिशिष्ट के उक्त नियम 12 के अन्तर्गत टिप्पणी 2 (ख) के नीचे निम्न को प्रपत्र II के रूप में अन्तर्विष्ट किया जाए :—

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th June 1980

No. 40-Pres/80.—The President is pleased to institute three Distinguished Service Awards to be designated "SARVOTTAM YUDDH SEVA MEDAL", "UTTAM YUDDH SEVA MEDAL" and "YUDDH SEVA MEDAL" and to make, ordain and establish the following Ordinances which shall be deemed to have effect from the twenty-sixth day of January in the year One Thousand Nine Hundred and Eighty :—

SARVOTTAM YUDDH SEVA MEDAL

Firstly.—The medal shall be styled and designated the "SARVOTTAM YUDDH SEVA MEDAL" (hereinafter referred to as the medal).

Secondly.—The medal shall be circular in shape, 35 millimetres in diameter and fitted to a plain horizontal bar with standard fitting. The medal shall be of gold gilt. The medal shall have on its obverse the State Emblem and the inscriptions "सर्वोत्तम युद्ध सेवा मडल" "SARVOTTAM YUDDH SEVA MEDAL" embossed along the upper rim. On its reverse, it shall have a five pointed star. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept by the Medal Section of the Ministry of Defence, Government of India.

Thirdly.—The medal shall be suspended from the left side of the breast by a riband, 32 millimetres in width. The ribbon shall be of golden colour with one red vertical stripe in the centre dividing it into two equal parts.

Fourthly.—The medal shall be awarded for distinguished service of the most exceptional order during war/conflict/hostilities.

Fifthly.—The medal may be awarded posthumously.

Sixthly.—The names of those persons upon whom the medal may be conferred shall be published in the Gazette of India, and a Register thereof kept under the direction of the President.

Seventhly.—The persons eligible for the medal shall be :

- All ranks of the Army, the Navy and the Air Force including those of Territorial Army Units, Auxiliary and Reserve Forces and other lawfully constituted Armed Forces when embodied.
- Nursing Officers and other members of the Nursing Services in the Armed Forces.

प्रपत्र-II

(केवल 10,000 की कुल धनराशि के प्रस्तावों के लिए लागू)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि यदि यह स्ताव सेना डाक निदेशालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और स्वीकृति पत्र मुझे जारी किया जाता है तथा संबंधित वेतन व लेखा अधिकारी/नियन्त्रक रक्षा लेखा (पी० ए० ओ०/सी० डी० ए०) को प्रति नियम की वसूली के लिए निदेश दिए जाते हैं और यदि कोई गंभीर बीमारी हुई अथवा मेरी मौजूदा डाकटरी श्रेणी में कोई परिवर्तन हुआ अथवा इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की तारीख और पहले प्रीमियम की पूरी वसूली अदायगी की तारीख के बीच मेरे परिवार में कोई मृत्यु या गंभीर बीमारी हुई, अथवा ही वह मेरी वृष्टि में कितनी भी महत्वहीन हो, यदि इस प्रकार की घटना की सूचना लिखित रूप में सेवा डाक निदेशालय को नहीं भेजी है तो बीमा रद्द हो जाएगा तथा उस के संबंध में भुगतान की हुई पूरी रकम जब्त हो जाएगी।

वह भी घोषणा करता हूँ कि मेरी मौजूदा डाकटरी श्रेणी "ए वाई ई" है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक है।

स्थान-----प्रस्तावक के हस्ताक्षर-----

दिनांक-----

3 ये संशोधन तुरन्त लागू होंगे।

4 यह डाक वार वित्त की सहमति से उनके अ० सं० पत्रांक 962 एफ० ए० III /80 ता० 21-4-1980 के अंतर्गत जारी किया जा रहा है।

एस० सी० जैन
निदेशक (पी एल आई)

Eighthly.—If a recipient of the medal is subsequently awarded the medal again, every such further award shall be recognised by a Bar to be attached to the riband by which the medal is suspended. For every such Bar, a miniature insignia of a pattern approved by the Government shall be added to the riband when worn alone.

Ninthly.—The miniature medal which may be worn on certain occasions by recipients shall be half the size of the medal, and a sealed pattern of the said miniature medal shall be deposited and kept.

Tenthly.—The President may cancel and annul the award of the medal to any person and thereupon the name of such recipient in the Register shall be erased and the recipient shall be required to surrender the insignia; but it shall be competent for the President to restore the medal when such cancellation and annulment has been withdrawn.

Lastly.—The notice of cancellation or restoration, in every case, shall be published in the Gazette of India.

UTTAM YUDDH SEVA MEDAL

Firstly.—The medal shall be styled and designated the "UTTAM YUDDH SEVA MEDAL" (hereinafter referred to as the medal).

Secondly.—The medal shall be circular in shape, 35 millimetres in diameter and fitted to a plain horizontal bar with standard fittings. The medal shall be of gold gilt. The medal shall have on its obverse the State Emblem and the inscriptions "उत्तम युद्ध सेवा मडल" "UTTAM YUDDH SEVA MEDAL" embossed along the upper rim. On its reverse, it shall have a five pointed star. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept by the Medal Section of the Ministry of Defence, Government of India.

Thirdly.—The medal shall be suspended from the left side of the breast by a riband, 32 millimetres in width. The ribbon shall be of golden colour with two red vertical stripes dividing it into three equal parts.

Fourthly.—The medal shall be awarded for distinguished service of an exceptional order during war/conflict/hostilities.

Fifthly.—The medal may be awarded posthumously.

Sixthly—The names of those persons upon whom the medal may be conferred shall be published in the Gazette of India and a Register thereof kept under the direction of the President

Seventhly—The persons eligible for the medal shall be —

(a) All ranks of the Army, the Navy and the Air Force including those of Territorial Army Units, Auxiliary and Reserve Forces and other lawfully constituted Armed Forces when embodied

(b) Nursing Officers and other members of the Nursing Services in the Armed Forces

Eighthly—If a recipient of the medal is subsequently awarded the medal again, every such further award shall be recognised by a Bar to be attached to the riband, by which the medal is suspended. For every such Bar, a miniature insignia of a pattern approved by the Government shall be added to the riband when worn alone

Ninthly—The miniature medal which may be worn on certain occasions by recipients shall be half the size of the medal, and a sealed pattern of the said miniature medal shall be deposited and kept

Tenthly—The President may cancel and annul the award of the medal and the Bar to any person and thereupon the name of such recipient in the Register shall be erased and the recipient shall be required to surrender the insignia, but it shall be competent for the President to restore the medal when such cancellation and annulment has been withdrawn

Lastly—The notice of cancellation or restoration, in every case, shall be published in the Gazette of India

YUDDH SEVA MEDAL

Firstly—The medal shall be styled and designated the "YUDDH SEVA MEDAL" (hereinafter referred to as the medal)

Secondly—The medal shall be circular in shape, 35 millimetres in diameter and fitted to a plain horizontal bar with standard fittings. The medal shall be of gold gilt. The medal shall have on its obverse the State Emblem and the inscriptions युद्ध सेवा मेडल "YUDDH SEVA MEDAL" embossed along the upper rim. On its reverse, it shall have a five pointed star. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept by the Medal Section of the Ministry of Defence Government of India

Thirdly—The medal shall be suspended from the left side of the breast by a riband 32 millimetres in width. The ribbon shall be of golden colour with three red vertical stripes dividing it into four equal parts

Fourthly—The medal shall be awarded for distinguished service of a high order during war/conflict/hostilities

Fifthly—The medal may be awarded posthumously

Sixthly—The names of those persons upon whom the medal may be conferred shall be published in the Gazette of India and a Register thereof kept under the direction of the President.

Seventhly—The persons eligible for the medal shall be —

(a) All ranks of the Army, the Navy and the Air Force including those of Territorial Army Units, Auxiliary and Reserve Forces and other lawfully constituted Armed Forces when embodied

(b) Nursing Officers and other members of the Nursing Services in the Armed Forces

Eighthly—If a recipient of the medal is subsequently awarded the medal again, every such further awarded shall be recognised by a Bar to be attached to the riband, by which the medal is suspended. For every such Bar, a miniature insignia of a pattern approved by the Government shall be added to the riband when worn alone

Ninthly—The miniature medal which may be worn on certain occasions by recipients shall be half the size of the medal, and a sealed pattern of the said miniature medal shall be deposited and kept

Tenthly—The President may cancel and annul the award of the medal and the Bar to any person and thereupon the name of such recipient in the Register shall be erased and the recipient shall be required to surrender the insignia, but it shall be competent for the President to restore the medal when such cancellation and annulment has been withdrawn

Lastly—The notice of cancellation or restoration, in every case, shall be published in the Gazette of India

S NILAKANTAN,
Dy Secy to the President

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th June 1980

CORRIGENDUM

No F 2/12/79-NS—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No F 2/12/79-NS dated 17.8.79 under the Heading 'One Hundred Fourth Prizes (Rs 5,000/- each)', in column No 3 against Sl No 20 for the number "1340449" read number '1360449'

No F 2/29/79-NS—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No F 2/29/79 NS dated 19.2.1980 under the Heading 'One hundred Fourth Prizes (Rs 5,000 each)', in column No 3 against Sl No 51 For the number '1110873' read number "1110973"

A L TULI, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 1st May 1980

No 71(1)/80 D-I(L) —Dr Ashok Kelkar, Director, Centre of Advanced Study in Linguistics, Deccan College Poona, is nominated as one of the linguistic experts on the Hindi Shiksha Samiti which was last reconstituted vide this Ministry Resolution No F 7-4/77 D I(L) dated the 22nd March 1978 in place of Dr B G Mishra who has since been appointed as Director, Kendriya Hindi Sansthan, Agra

The nomination of Dr Kelkar is for the residual tenure of the reconstituted Samiti i.e. up to 31st December, 1980

K K KHULLAR, Dy Secy

New Delhi, the 26th March 1980

RESOLUTION

Subject —Establishment of an All India Council for Technical Education

Reference —Resolution No F 16-10/44-E III, dated the 30th November, 1945

No F 1-10/79-T 5—The following amendment shall be made to the Resolution cited above —

Sub-para (s) in para 3(i) of the Resolution shall be substituted by the following —

"(s) one representative of the Pharmacy Council of India".

ORDER

ORDERED that a copy of this amendment be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and all Ministries of the Government of India

ORDERED also that the amendment be published in the Gazette of India for information

C S JHA, Edu Adviser(T)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
POSTS AND TELEGRAPHS BOARD

New Delhi-110001, the 13th May 1980

No. 5/5/78-LL.—The President is pleased to decide that the following further amendments shall be made in the rules relating to POIF Rules namely :—

(i) The existing "Form" below Note 2 under Rule 12 in the appendix to Postal Life Insurance and EA Rules may be substituted by the following :—

"Form Number I"

(For proposals for a total amount of Rs. 10,000 and above)

I, hereby declare, that since my medical examination in connection with the proposal for Life Insurance, I have not suffered from any serious illness nor has there been to the best of my knowledge any death or serious illness in my family.

I also declare, that I am in good health today.

Name

Designation

Signature of the proposer.

Dated

at

Counter signature of head of office or any Gazetted for Commissioned Officer if proposer is on leave).

Dated

at

(b) In cases of difficulty such as when the headquarters of the superior officer are not in the same station as the

proposer's procedure similar to that prescribed in the case of a proposer on leave may be followed.

2. The President is further pleased to decide that the following may be inserted as "Form II below note 2(b) under the said Rule 12 of the appendix to POIF Rules :—

"Form II"

(Applicable for proposals for a total amount of Rs. 10,000 only)

I hereby declare that in case this proposal as accepted by the Army Postal Directorate and a letter of acceptance issued to me with directions to PAO/CDA concerned for recovery of the premium, and in case, I have suffered any serious illness or had any change in my present medical category or there has been any death or serious illness in my family however unimportant, I may consider the same, between the date of submission of this proposal and the date of recovery/payment of first premium in full, the assurance will be invalid and all moneys which shall have been paid in respect thereof forfeited unless intimation of such an event has been sent by me in writing to the Army Postal Directorate.

I also declare that my present medical category is 'AYE'.

I also declare that I am in good health today.

Dated at

on the

Signature of the proposer day of

3. These amendments shall take immediate effect.

4. This issues with the concurrence of P&T Finance vide their I.D. No. 962-FA-III/80 dated 21-4-1980.

S. C. JAIN
DIRECTOR (PLI)

